"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अप्रैल 2010—वैशाख 8, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-7/2008/1-8 स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में :—
   (1) अनुसूची-एक में शीर्षक "अ-कर्त्तव्य पद" के अंतर्गत सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्र. तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सेवा में सम्मिलित पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	नियुक्ति प्राधिकारी (3)	वर्गीकरण (4)
10 "अ" शीघ्रलेखक	-	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा छ. ग., सचिवालय

(2) अनुसूची-दो के कॉलम (6) में शीर्षक "छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय-श्रेणी सेवा" के अंतर्गत कॉलम (2) के सरल क्र. 5 क स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां जाड़ी जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
		नियम 6 (क) के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	नियम 6 (ख) के अनुसार सेवा के मूल/स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	नियम 6 (ग) के अनुसार अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय प्रशासन उप-विभाग)	छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय श्रेणी सेवा	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा	-	-	सहायक ग्रेड-1 के कुल स्वीकृत पदों में से 25% पद ऐसे सहायक ग्रेड-2 जो स्नातक है और 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हैं, से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे.
-	5 सहायक ग्रेड-1	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	

(3) अनुसूची-दो के कॉलम (2) में शीर्षक "छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय-श्रेणी सेवा" के अंतर्गत सरल क्र. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
		नियम 6 (क) के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	नियम 6 (ख) के अनुसार सेवा के मूल/स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	नियम 6 (ग) के अनुसार अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय प्रशासन उप-विभाग)	छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय-श्रेणी सेवा	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा	-	-	-
-	10 "अ" शीघ्रलेखक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		-

(4) अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की

जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय प्रशासन उप-विभाग)	छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय-श्रेणी 1. सहायक ग्रेड-1	वर्ष 18	वर्ष 38	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किसी शासकीय कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो.	

(5) अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय प्रशासन उप-विभाग)	छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय-श्रेणी 3. शीघ्रलेखक क. (हिन्दी) ख. (अंग्रेजी) ग. (द्विभाषी)	वर्ष 18	वर्ष 35	- (एक) मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा या (10+2) या किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो. (दो) (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्र-लेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा. (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए उपर्युक्त खंड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा. उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण-पत्र धारण करता हो. (तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है.	-

(6) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में शीर्षक "शीघ्रलेखक मानक वेतनमान" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	कॉलम 2 में दर्शाए गए पद पर सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छ. ग. सचिवालय सेवा	शीघ्रलेखक	निज सहायक	5 वर्ष	सचिव द्वारा समय-समय पर जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 2-7/2008/1-8 स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 28th April 2010

NOTIFICATION

No. F 2-7/2008/1-8, Estt.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governer of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 1976, namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules,—

(1) In Schedule-I under the heading "A-Duty Posts" after Serial No. 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Name of the post included in the service	Name of post	Appointing Authority	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)
10 "A" Stenographer	-	Secretary General Administration Department	Class-III Ministrial Service of Chhattisgarh Secretariat

(2) In column (6) of Schedule-II under heading "Chhattisgarh Secretariat Class-III Service" against Serial No. 5 of column (2), the following entries shall be added, namely :—

Name of Department	Name of Service	Percentage duty post to be filled			Remarks
		By direct recruitment through competitive examination as per rule 6 (a)	By promotion of Substantive/ Officiating members of Service as per rule 6 (b)	By transfer of the persons of other Service as per rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department (Secretariat Administration sub-Section)	Secretariat of Chhattisgarh Class-III Service 5 Assistant Grade-I	By Competitive examination 25 Percent	- 75 Percent	- -	25 Percent Posts out of the total sanctioned Posts of Assistant Grade-I shall be filled up by the Assistant Grade-II having Bachelor Degree and 5 years regular Service, through limited Department Examination.

(3) In column (2) of Schedule-II under heading "Chhattisgarh Secretariat Class-III Service" after Serial No. 10 and entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely :—

Name of Department	Name of Service	Percentage duty post to be filled			Remarks
		By direct recruitment through competitive examination as per rule 6 (a)	By promotion of Substantive/ Officiating members of Service as per rule 6 (b)	By transfer of the persons of other Service as per rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department (Secretariat Administration sub-Section)	Secretariat of Chhattisgarh Class-III Service	By Competitive examination	-	-	-
-	10 "A" Stenographer	50 Percent	50 Percent	-	-

(4) In Schedule-III, for Serial No. 1 of column (2) and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

Name of Department (1)	Name of Service (2)	Minimum Age-limit (3)	Maximum Age-limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)	Remarks (6)
General Administration Department (Secretariat Administration sub-Section)	Secretariat of Chhattisgarh Class-III 1. Assistant Grade-I	Year 18	Year 38	Graduate from any recognized University only for the persons who have completed regular Service of 5 years in post of Assistant Grade-2 in any Government office.	

(5) In Schedule-III, for Serial No. 3 of column (2) and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

Name of Department	Name of Service	Minimum Age-limit	Maximum Age-limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department (Secretariat Administration sub-Section)	Secretariat of Chhattisgarh Class-III 03. Stenographer A. (Hindi) B. (English) C. (Bilingual)	Year 18	Year 35	- (I) Must have passed Higher Secondary School Certificate Exam. or (10+2) recognized Board or first year examination of Graduation Course from the any recognized University. (II) Must have possessed the Certificates of Qualifying (a) Hindi shorthand and Typing Examination with speed of 100 and 25 words per minute respectively for Hindi Stenographer. (b) English shorthand and Typing Exam. with speed of 100 and 25 words per minute respectively for English Stenographer; (c) English and Hindi Shorthand and Typing Examination as specified in aforesaid clause (a) and (b) for bilingual Stenographer. (III) Must have Diploma/Certificate possessed of at least one year in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and 5000 per hour depression speed of Data Entry is essential.	-

(6) In column (2) of Schedule-IV after the heading "Standard Scale Stenographer" and entries relating thereto,

the following entries shall be inserted, namely :—

Name of Service	Name of that post from which promotion is to be made	Name of that post to which promotion is to be made	No. of years Service on post remarked in column-2	Name of members of departmental promotion committee.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chhattisgarh Secretariat Service	Stenographer	Personal Assistant	5 years	As may be Specified by the Secretary from time to time	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.